

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद
(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :- 55/2019
दायर दिनांक :- 03/09/2019
निर्णय दिनांक :- 27/09/2019

अनवान

श्री रामसिंह पिता विजयसिंह , जाति कडेचा राजपूत उम्र 55 निवासी धानीन
तहसील गढबोर जिला राजसमंद

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गढबोर, जिला राजसमन्द

— रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार गढबोर प्रकरण संख्या 217/2018 सरकार
बनाम रामसिंह निर्णय दिनांक 21.12.2018 बाबत्।

उपस्थित :-

- 1—श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
- 2—श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम धानीन पटवार हल्का गढबोर तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 101 रकबा 9 बीघा 14 विस्वा 10 विस्वांसी भूमि किस्म बिलानाम स्थित है जिसमें से 3 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रिमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रिमी मानते हुये लगान का 50 गुणा शास्ति रूपये 150/- आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 28.11.2017 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है । प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को



कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के राजस्व ग्राम धानीन की आराजी नम्बर 101 रकबा 9 बीघा 14 विस्वा 10 विस्वांसी में से 3 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार गढबोर के यहा रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसमें अपीलान्ट के विरुद्ध बेदखली के आदेश उसकी अनुपस्थिति में पारित किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि जो कि किस्म बिलानाम पड़त थी, उस पर काफी मेहनत कर भूमि को विकसित कर काश्त योग्य बनाया है और काफी मेहनत कर लागत लगाकर इस भूमि को फसल उगाने जैसी विकसित की है, ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। उक्त भूमि के चारों तरफ पत्थर की दीवार अपीलार्थी द्वारा बनायी गयी है तथा सन् 1995 से इस जमीन पर अपीलार्थी का नियमित कब्जा आधिपत्य पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है। अपीलान्ट को अपनी साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त एवं उचित अवसर नहीं मिला है और सीधे ही प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया जो विधि विरुद्ध है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सम्मन की तामील ही नहीं हुई है और अपीलार्थी की तामील नहीं होते हुए भी भंवरसिंह की तामील के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त निर्णय पारित कर दिया गया है। सुनवाई दिनांक को जब अपीलार्थी उपस्थित ही नहीं थी फिर भी अपीलार्थी की उपस्थिति बताते हुए उक्त प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया है जो विधि के विपरीत है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर पिछले 30 से अधिक वर्षों से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है और अपीलान्ट द्वारा फसल भी प्राप्त की जा रही है। इतने वर्षों से नियमित कब्जा आधिपत्य होने से अपीलार्थी उक्त भूमि नियमन कराने की पात्रता रखता है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि को विकसित कर काफी पेड भी बडे किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का लम्बा कब्जा आधिपत्य होने पर भी उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम पर आवंटित/नियमन करने बाबत कोई आदेश पारित नहीं कर भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट का लम्बे समय से कब्जा आधिपत्य होकर अपीलान्ट द्वारा भूमि को लागत लगाकर विकसित किया गया है। बाउण्ड्री बनाकर महफूज किया गया है तथा काश्त योग्य बनाया गया है तथा काश्त की जा रही है। अपीलान्ट उक्त भूमि अपने नाम पर आवंटित/नियमन कराने



की पात्रता रखता है। फिर भी इस बिन्दू पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनन विचार नहीं किया है और प्रकरण को खारीज करने में भारी विधिक भूल की है। वैसे भी धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा आधिपत्य होने से धारा 91 की कार्यवाही के जरिये बेदखल नहीं किया जा सकता। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिक आदेश की परिभाषा में भी नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में जो निर्णय किया है और जिस आलोच्य निर्णय को अपीलान्ट द्वारा चुनौती दी गयी है वह निर्णय ही अधीनस्थ न्यायालय का छपे प्रफोर्मे को भरकर पत्रावली को निर्णित करना दर्शाया है जो न केवल विधि विरुद्ध है बल्कि न्याय व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड को देखा ही नहीं निर्णय को लिखाया ही नहीं। केवल छपे हुए प्रफोर्मे पर निर्णय दर्शाते हुए पत्रावली फ़ैसल कर दी गयी। जो अवैध एवं विधि विरुद्ध है। न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है और उस संक्षिप्त कार्यवाही से उसे बेदखल करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही हैं इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पदमावती बनाम राज0 राज्य के मामले में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि उक्त कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है और इस कार्यवाही से कब्जेधारी को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उक्त न्यायिक निर्णय के प्रतिपादित सिद्धान्त के मद्देनजर रखते हुए उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है—

Rajasthan Land Revenue Act 1956-Sec 91-Applicability-Tehsildar issued notice u/s 91 to respondent for Sawai Chak,- Respondent has put forward bona fide claim about her right to remain in occupation over the land. The said claim raises questions involving applicability and interpretation of various laws and documents as well as investigation into disputed questions of fact involving recording of evidence, These matters could not be satisfactorily adjudicated in summary proceedings under Section 91 of the act and can be more properly considered in regular proceedings in the appropriate forum.

उक्त भूमि अपीलार्थी अपने नाम पर नियमन कराने का भी अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र क्रमांक— प-6(7)राज-4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15.07.1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की तारीख 15.07.1994 से बढ़ाकर दिनांक 01.01.2000 तक कर दिया है इसके उपरान्त वर्ष 2018 में उक्त अवधि बढ़ाकर 2000 से 2018 कर दी गई है। प्रशासन गोंवों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा इस अवधि की वृद्धि की जा चुकी है। अपीलार्थी का कब्जा 1995 से भी पूर्व का है। और अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम धानीन तहसील गढबोर की आराजी नम्बर 101 रकबा 9 बीघा 14 विस्वा 10 विस्वांसी में से 3 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का



अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार गढबोर के यहा रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसमें अपीलान्ट के विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावे। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम धानीन पटवार हल्का गढबोर तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 101 रकबा 9 बीघा 14 विस्वा 10 विस्वांसी भूमि किस्म बिलानाम स्थित है, जिसमें से 3 बीघा भूमि किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी को बेदखल करने व शास्ति 150/-रूपये आरोपित करने के आदेश से मैं सन्तुष्ट हूँ। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूँ। प्रार्थी भूमि आवंटन हेतु पृथक से सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता है। अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
अति० जिला कलक्टर
राजसमन्द